छत्तीसगढ़ पी.यू.सी.एल. के जनरल सैकरेटरी डॉ बिनायक सेन की गिरफ्तारी का विरोध करो

छत्तीसगढ़ पी.यू.सी.एल. के जनरल सैकरेटरी और राष्ट्रीय पी.यू.सी.एल. के अध्यक्ष डॉ बिनायक सेन को छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005 और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट 1967 के तहत तथाकथित माओवादियों के साथ संबंध होने के आरोप में 14 मई 2007 को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया।

इसी हफ़्ते राज्य की पुलिस ने यह दावा किया था कि माओवादियों से उनके तथाकथित संबंधों के बारे में पीयूश गुहा नामक व्यापारी ने बताया था। ध्यान देने की बात है कि पीयूश गुहा को छत्तीसगढ़ पुलिस ने गैरकानूनी ढंग से हिरासत में बंद किया हुआ था। इसके बाद पुलिस ने बिनायक सेन और चार अन्य लोगों को गिरफ़्तार करने के इरादों का खुलासा किया जिनमें दो वरिष्ट स्थानीय कार्यकर्ता रश्मि द्विवेदी और गौतम बंधोपाध्याय शामिल हैं। ये दोनों भी छत्तीसगढ़ पी.यू.सी.एल. से जुड़े हुए हैं। पुलिस अच्छी तरह से जानती थी कि डॉ बिनायक उस समय अपनी बीमार माँ की देखभाल और अपने खुद के इलाज के लिए कलकत्ता में थे फिर भी उसने यह झूठ फैलाया कि वे फरार हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए भागे हुए हैं! 14 मई को बिलासपुर वापस आने पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और 15 मई को रायपुर पुलिस को सौंप दिया। एक मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें18 मई तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिसके सामने उन्हें पेश तक नहीं किया गया। कुछ तकनीकी कारणों से पुलिस रायपुर के उनके घर की तलाशी नहीं ले सकी तो उसने गैरकानूनी ढंग से रायपुर के बाहरी इलाके में स्थित डॉ सेन और उनके परिवार के फॉर्म हाऊस का तहस नहस कर डाला और धान की खड़ी फ़सल को नुकसान पहुँचाया।

छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005 और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट 1967 के तहत तथाकथित माओवादियों के साथ संबंध होने के आरोप में बिनायक सेन की गिरफ़्तारी से, जनतांत्रिक विरोध और नागरिक अधिकारों के प्रति छत्तीसगढ़ शासन के असहनीय और कट्टर रवैये के प्रति गंभीर सवाल उठते हैं। पिछले कुछ समय में दांतेवाड़ा जिले में माओवादियों के खिलाफ़ राज्य द्वारा प्रायोजित अभियान - सलवा जुडूम - खड़ा करने के पीछे छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा को लेकर छत्तीसगढ़ पी.यू.सी.एल. बहुत से परेशान करने वाले सवाल खड़े करता रहा है। इस अभियान के चलते बड़ी संख्या में आदिवासी विस्थापित हो चुके हैं।

छत्तीसगढ़ पी.यू.सी.एल. सुरक्षा बलों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों और मानवअधिकारों के उल्लंघन की जांच पड़ताल और पर्दाफ़ाश भी करता रहा है। अप्रैल 2007 में छत्तीसगढ़ पी.यू.सी.एल. ने राज्य में हुई कई सारी फ़र्ज़ी मुठभेड़ों और ख़ासकर 31 मार्च को बीजापुर जिले में 12 आदिवासियों की हत्या के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार से जवाब मांगा था। बिनायक सेन ने लगातार कहा कि जबकि माओवादियों को दांतेवाड़ा के स्थानीय लोगों के कम से कम एक भाग का समर्थन मिला हुआ है, माओवादियों से निपटने के नाम पर सरकार असल में आदिवासी ज़मीन (और जीविका) पर कब्ज़ा जमाने की जुगाड़ में लगी है और क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा को बेचने के लिए मैदान तैयार कर रही है। बिनायक सेन की गिरफ़्तारी और चार अन्य लोगों के खिलाफ़ आरोप लगाने का असल मकसद छत्तीसगढ़ पुलिस और राज्य द्वारा की जा रही ज़्यादतियों पर से ध्यान हटाना है।

छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005 - यानी पुलिस राज्य का निर्माण!

छत्तीसगढ़ पुलिस बिनायक सेन के खिलाफ़ छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005 का इस्तेमाल कर रही है। ज़ाहिर है कि एक्ट में 2006 में जो बदलाव किए गए वे बढ़ते हुए माओवादी खतरे से निपटने के नाम पर असल में पी.यू.सी.एल. और इस जैसे अन्य विरोधी समूहों को चुप कराने के लिए थे। यह बिल्कुल साफ़ है क्योंकि माओवादी गुटों को तो सन् 2004 में पहले ही अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट 1967 के संशोधन का इस्तेमाल करके प्रतिबंधित किया जा चुका था। छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005 में किसी भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से ज़्यादा दमनकारी प्रावधान हैं और इसके तहत पुलिस को यह अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति को कोई ऐसा काम करने के लिए भी गिरफ़्तार कर सकती है जिसमें 'किसी कानून के लागू करने में बाधा डालने की *प्रवृति* हो'। अधिनियम यह भी कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के कार्यकलापों से 'स्थापित कानून की अवज्ञा को *बढ़ावा* मिले' तो उन्हें 'गैरकानूनी' माना जाएगा। मनमर्ज़ी से व्याख्या किए जाने की जैसी संभावना इस एक्ट में है उसी के चलते बिनायक सेन द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघनों का पर्दाफ़ाश करने को आसानी से 'गैरकानूनी' बताया जा सकता है। छत्तीसगढ़ वशेष जन सुरक्षा अधिनियम के तहत बिनायक सेन की गिरफ़्तारी ने एक्ट को लेकर सभी शंकाओं को सही साबित कर दिया है। बिनायक सेन की गिरफ़्तारी कोई अकेली घटना नहीं है यह आंध्रप्रदेश और अन्य राज्यों में कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने की सरकारी दमन की नीति का हिस्सा है। यह गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ में जनवादी आवाज़ के लिए कम होते जा रही जगह का सूचक है। यह समय है जबकि देश भर के जनवादी सोच वाले लोगों के आवाज़ उठाने की ज़रूरत है!

बिनायक सेन न केवल 1978 से एक नागरिक अधिकार कार्यकर्ता हैं बल्कि एक प्रतिबद्ध डॉक्टर भी हैं। वे समुदाय आधारित ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के लिए लगातार कार्यरत रहे हैं। वे छत्तीसगढ़ सरकार के समुदाय आधारित स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यक्रम 'मितानिन' की सलाहकार समिति के सदस्य भी थे। उन्होंने दल्ली राजहरा में शहीद अस्पताल की स्थापना में भी सहयोग दिया था। शहीद अस्पताल मजदूरों का अपना अस्पताल है जिसे क्षेत्र की जनता के हित के लिए मजदूर संगठन चलाता है। सन् 2004 में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वैलोर ने, जहाँ उन्होंने अपनी शिक्षा भी हासिल की थी, जीवन भर के चिकित्सीय योगदान के लिए उन्हें पॉल हैरिसन पुरस्कार भी दिया था।

हम मांग करते हैं

बिनायक सेन को तुरंत बिना शर्त के रिहा किया जाए।
छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005 और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट 1967 को रद्द किया जाए।
इन अधिनियमों के तहत गिरफ्तार सभी लोगों को तुरंत रिहा किया जाए।

पीपल्स यूनियन फ़ॉर डैमोक्रेटिक राइट्स (पी.यू.डी.आर.), पीपल्स यूनियन फ़ॉर सिविल लिबर्टीज़ (पी.यू.सी.एल.), मेडिको फ्रेंडस सर्कल, नेशनल एलाइंस फ़ॉर पीपल्स मूवमेंट (एन.ए.पी.एम.), सोशलिस्ट फ्रंट, सहेली, देहली सोलिडेरिटी ग्रुप